राजस्थान के सभी ST-SC के विधायकों को सूचित कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल पदोन्नति में आरक्षण के लिए नहीं बल्कि आरक्षण की मूल अवधारणा के ही विरुद्ध है, सुप्रीम_कोर्ट ने साफ कहा है कि नौकरियों एंव पदोन्नति में ST SC को दिया गया आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं एंव उन्हीं अनुच्छेद 15,16,21 में सामाजिक न्याय समानता जीवन की स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है तब यह बात सुप्रीम कोर्ट से ही पूछी जानी जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या हैं.?? इसलिए पूरा मामला समझे बिना आधी अधूरी व्याख्या करके इसे पदोन्नति तक सीमित न समझें,सभी विधायकों के करीबी लोग विधायकों को यह बात बताएं कि शीर्ष अदालत का यह सामाजिक न्याय विरोधी निर्णय आरएसएस की उस मनुवादी सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसके तहत वह मानव मानव के मध्य भेद को जायज ठहराकर ब्राह्मणवादी शोषणमूलक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहता है।

यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो आजतक आरक्षण की ऊपरी सीमा को 50% से ऊपर जाने पर असंवैधानिक ठहराकर रोक लगा देता है।

यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो बिना जाति-धर्म आधारित जनगणना के वास्तविक आंकड़ों को जाने बिना आरक्षण की ऊपरी सीमा पर 50% पर निश्चित कर देता है लेकिन अभी हाल में मोदी सरकार द्वारा कथित गरीब सवर्णों EWS को पूर्णतः गलत तरीके से दिए गए 10% आरक्षण पर कोई रोक लगाने से इंकार कर देता है जबकि इससे आरक्षण की ऊपरी सीमा 60% हो जाती है। EWS को दिया गया आरक्षण अगले दिन से सारे देश में व्यवस्थित रूप से लागू हो जाता है जबकि हम असली हकदारों को उनका वास्तविक हक आजतक नहीं मिल पा रहा है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया जिससे आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% से ऊपर चली गयी तो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है,ऐसे अनेक गम्भीर विवादित निर्णय हैं भारत की न्यायपालिका के जिनसे साबित हो जाता है कि आजादी के 73 साल बाद भी न्यायपालिका का मूल चरित्र सामन्ती मनुवादी है। इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि शुरू से लेकर आजतक भारत की उच्च न्यायपालिका में ST SC व पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है।